



कार्यालय निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर



Email: dirndbr-forest-uk@nic.in Off. Ph. & fax 01372252497

पत्रांक- 4346 / 12-1 दिनांक 19 मई 2017
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून।

विषय:- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रस्तावित जालबैण्ड से चिलौन्ड तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.61 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/22249/2016.

महोदय,
उपरोक्त विषयक जालबैण्ड से चिलौन्ड मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.61 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार के प्रपत्र भाग-3 में आख्या अंकित कर प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु ऑन लाइन से प्रेषित है।

भवदीय,

(मान सिंह)
निदेशक / वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर

पत्रांक / दिनांकित।
प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मान सिंह)
निदेशक / वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

पत्रांक / दिनांकित।
प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता, लोनि0वि0 ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मान सिंह)
निदेशक / वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

P.T.O.

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद रुद्रप्रयाग में प्रस्तावित जालबैण्ड से विलौन्ड तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.61 है0 वन भूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव

14	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण नोट के रूप में सलरन करें।	नही
15	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉ
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्तावित जालबैण्ड से विलौन्ड मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.61 है0 वन भूमि का निरीक्षण उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा दि0 22.04.2017 को किया गया। उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर की संस्तुति के आधार पर जालबैण्ड से विलौन्ड तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं वृक्ष प्रजाति प्रभावित न होने पावे तथा निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण सावधानी पूर्वक निर्धारित स्थान (डम्पिंग साईट) पर किया जाय।

तिथि 19-5-2017
स्थान- गोपेश्वर।

(मान सिंह)

निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।